

Office Divisional Director, Social Forestry Division, Meerut.**Letter No. 5205 /35-3****dt. 06-03- 2023**

To,
The Registrar (General),
National Green Tribunal
Principal bench
New Delhi
No.

Subject: - In compliance of order dated 19-09-2022 and 11-01-2023 passed by Hon'ble NGT in OA No 595/2022 titled by Sarita Singh Vs State of U.P.

Sir,

In the above case Hon'ble Tribunal has directed in order dated 19-09-2022 that ..."in the application raise questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in Schedule I to the National Green Tribunal Act, 2010. In view of the allegations made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of State PCB, Divisional Forest Officer and District Magistrate, Meerut and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and concerned persons, verify the factual position and submit its report within one month by e-mail at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance"

In compliance of the above order Revenue Department, Forest department and UPPCB has inspected the said alleged site. Joint inspection report along with map and SDM, Mawana, Meerut report Ref. No. 1215/ST-Mawana/2022 dated 27/12/2022 is annexed.

According to the report as per revenue records of village Nagla Gosai Pargana Kithore Tehsil Mawana District Meerut the said Khasra No 538Mi (area 0.4050 Hect), Khasra No 569Mi (area 39.1150Hect), Khasra No571/1/1Mi (area 1.960Hect), Khasra No 572Mi (area 14.8840Hect), Khasra No 600Mi (area14.0620Hect), Khasra No 602/1Mi (area 0.6320Hect), Khasra No 607/2/1Mi (area 0.0250Hect), Khasra No 624/Mi (area 0.1770Hect), Khasra No 622Mi (area 0.2280 Hect).Total No 9 Rakba having Total area 71.4880 Hect which are as per revenue record reported to be **alake (Category 06 (1)) i.e. Jheel .**

At present on ground The Khasra No 538Mi (area 0.4050Hect) was found to be having green tree covered i.e. Forest like. The Khasra No602/1Mi (area 0.6320Hect), Khasra No 622Mi (area 0.2280 Hect) was found vacant. The Khasra No 569Mi (area 39.1150Hect) and Khasra No 572Mi (area 14.8840 Hect) on which a Bengali Bastiis situated partially. The Khasra No 571/1/1Mi (area 1.960 Hect),Khasra No 600Mi (area 14.0620 Hect), Khasra No 607/2/1Mi (area 0.0250Hect), Khasra No624/Mi (area 0.1770Hect) on which villagers are cultivating partially on the area which is categorized as category 06(1) i.e Jheel .

On 17th November 2022 team members through munadi (verbal announcement in local language) communicated to local bengali basti people to vacate this govt land .

As per SDM Mawana joint report the peoples residing in Bangali Basti for last 40 years, as they are cultivating the fields in village Nagla Gosai Pargana Kithore Tehsil Mawana District Meerut for their livelihood. These people do not have any permanent house and residing in the said area for last 40 years.

The said area falls under the Hastinapur wildlife sanctuary boundaries, where any type of agriculture/housing purpose could not be allowed on Government land . For rehabilitation of Bengali Basti people the only option is to rehabilitate them to some other suitable place after selection of suitable place.

Forest Range officer Parikshitgarh Range vide letter no 112/35-1 dated 03-12-2022 informed that the said khasra numbers where partial agriculture & Bengali basti located is recorded as Jheel (type 06) in revenue records. This government revenue land comes under boundaries of Hastinapur wildlife sanctuary. Forest team is doing coordination with revenue officials to vacate the said land.

Joint Committee report was filed by RO UPPCB vide email dated 05-01-2023 in compliance of Honble NGT order of dated 19-09-2022.

In brief ,the said land is under category 6 jheel land as per revenue village record which is being monitored & managed by revenue officials . As per Forest land records, No encroachment was found on Reserve Forest/Protected Forest land. Forest dept is pursuing the matter with revenue officials .

The factual report/brief note is being submitted along with the report for your kind perusal and further action in this regard.

With regards,

Enclosure : factual report.

Your's faithfully,

Divisional Director
Meerut Social forestry Division,
Meerut.

Copy To:

- 1- CCF Court Case, U.P. Lucknow.
- 2- CCF Western Zone U.P. Meerut.
- 3- CF Meerut Circle, Meerut.
- 4- D.M, Meerut.
- 5- RO UPPCB, Meerut.

Divisional Director
Meerut Social forestry Division,
Meerut.

Office Divisional Director, Social Forestry Division, Meerut.**Letter No. 5205 /35-3****dt. 06-03- 2023**

To,
 The Registrar (General),
 National Green Tribunal
 Principal bench
 New Delhi
 No.

**Subject: - In compliance of order dated 19-09-2022 and 11-01-2023 passed by Hon'ble NGT
 in OA No 595/2022 titled by Sarita Singh Vs State of U.P.**

Sir,

In the above case Hon'ble Tribunal has directed in order dated 19-09-2022 that ..."in the application raise questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in Schedule I to the National Green Tribunal Act, 2010. In view of the allegations made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of State PCB, Divisional Forest Officer and District Magistrate, Meerut and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and concerned persons, verify the factual position and submit its report within one month by e-mail at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance"

In compliance of the above order Revenue Department, Forest department and UPPCB has inspected the said alleged site. Joint inspection report along with map and SDM, Mawana, Meerut report Ref. No. 1215/ST-Mawana/2022 dated 27/12/2022 is annexed.

According to the report as per revenue records of village Nagla Gosai Pargana Kithore Tehsil Mawana District Meerut the said Khasra No 538Mi (area 0.4050 Hect), Khasra No 569Mi (area 39.1150Hect), Khasra No571/1/1Mi (area 1.960Hect), Khasra No 572Mi (area 14.8840Hect), Khasra No 600Mi (area14.0620Hect), Khasra No 602/1Mi (area 0.6320Hect), Khasra No 607/2/1Mi (area 0.0250Hect), Khasra No 624/Mi (area 0.1770Hect), Khasra No 622Mi (area 0.2280 Hect).Total No 9 Rakba having Total area 71.4880 Hect which are as per revenue record reported to be alake (Category 06 (1)) i.e. Jheel .

At present on ground The Khasra No 538Mi (area 0.4050Hect) was found to be having green tree covered i.e. Forest like. The Khasra No602/1Mi (area 0.6320Hect), Khasra No 622Mi (area 0.2280 Hect) was found vacant. The Khasra No 569Mi (area 39.1150Hect) and Khasra No 572Mi (area 14.8840 Hect) on which a Bengali Bastiis situated partially. The Khasra No 571/1/1Mi (area 1.960 Hect),Khasra No 600Mi (area 14.0620 Hect), Khasra No 607/2/1Mi (area 0.0250Hect), Khasra No624/Mi (area 0.1770Hect) on which villagers are cultivating partially on the area 'which is categorized as category 06(1) i.e Jheel .

On 17th November 2022 team members through munadi (verbal announcement in local language) communicated to local bengali basti people to vacate this govt land .

As per SDM Mawana joint report the peoples residing in Bangali Basti for last 40 years, as they are cultivating the fields in village Nagla Gosai Pargana Kithore Tehsil Mawana District Meerut for their livelihood. These people do not have any permanent house and residing in the said area for last 40 years.

The said area falls under the Hastinapur wildlife sanctuary boundaries, where any type of agriculture/housing purpose could not be allowed on Government land . For rehabilitation of Bengali Basti people the only option is to rehabilitate them to some other suitable place after selection of suitable place.

Forest Range officer Parikshitgarh Range vide letter no 112/35-1 dated 03-12-2022 informed that the said khasra numbers where partial agriculture & Bengali basti located is recorded as Jheel (type 06) in revenue records. This government revenue land comes under boundaries of Hastinapur wildlife sanctuary. Forest team is doing coordination with revenue officials to vacate the said land.

Joint Committee report was filed by RO UPPCB vide email dated 05-01-2023 in compliance of Honble NGT order of dated 19-09-2022.


In brief ,the said land is under category 6 jheel land as per revenue village record which is being monitored & managed by revenue officials . As per Forest land records, No encroachment was found on Reserve Forest/Protected Forest land. Forest dept is pursuing the matter with revenue officials .

The factual report/brief note is being submitted along with the report for your kind perusal and further action in this regard.

With regards,

Enclosure : factual report.

Your's faithfully,



Divisional Director

Meerut Social forestry Division,

Meerut.

Copy To:

- 1- CCF Court Case, U.P. Lucknow.
- 2- CCF Western Zone U.P. Meerut.
- 3- CF Meerut Circle, Meerut.
- 4- D.M, Meerut.
- 5- RO UPPCB, Meerut.



Divisional Director

Meerut Social forestry Division,

Meerut.

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, परीक्षितगढ मेरठ

पत्रांक 112 /35-1

दिनांक 3-12-22

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मेरठ

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0एन0 नम्बर 595/2022 में पारित आदेश दिनांक 10.09.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उक्त विषयगत काम के अनुपालन में अवगत कराना है कि दिनांक 02.12.2022 को राजस्व टीम, वन विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा नगला गोसाईं के उक्त योजित ओ0एन0 नम्बर 595/2022 में उल्लिखित खसरा नम्बरान का स्थलीय/अभिलेखीय निरीक्षण किया गया । मौके पर बसी बंगाली बस्ती एवं उनके द्वारा जो भी कृषि कार्य किया जा रहा है, वह राजस्व विभाग के अभिलेखों में श्रेणी 06(1) झील दर्ज है जो हस्तेनापुर वन्य जीव विहार के अन्तर्गत है । वन विभाग की आरक्षित वन भूमि में कोई भी अतिक्रमण नहीं है । अधोहस्ताक्षरी द्वारा राजस्व विभाग को उक्त अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में पूर्ण सहयोग किया जा रहा है ।

रिपोर्ट सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है ।

C.S. S.
27/11/2022
27-1-2023

भवदीय
क्षेत्रीय वन अधिकारी
परीक्षितगढ

Ref No - 1519/G/OA-595/37/Sarita Singh/2022-

dt - 5-1-23.

To,

The Registrar (General),
National Green Tribunal
Principal bench
New Delhi

No.

Date

Subject In compliance of order dated 19-09-2022 passed by Hon'ble NGT in OA No 595/2022 titled by Sarita Singh Vs State of U.P.

Sir,

In the above case Hon'ble Tribunal has directed that" in the application raise questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in Schedule I to the National Green Tribunal Act, 2010. In view of the allegations made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of State PCB, Divisional Forest Officer and District Magistrate, Meerut and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and concerned persons, verify the factual position and submit its report within one month by e-mail at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance".

In compliance of the above order Revenue Department, Forest department and UPPCB has inspected the said alleged site. Joint inspection report along with map and SDM, Mawana, Meerut report Ref.No. 1215/ST-Mawana/2022 dated 27/12/2022 is annexed.

According to the report village Nagla Gosai Pargana Kithore Tehsil Mawana District Meerut Khasra No 538Mi(area 0.4050Hect), Khasra No 569Mi(area 39.1150Hect), Khasra No 571/1/1Mi(area 1.960Hect), Khasra No 572Mi(area 14.8840Hect), Khasra No 600Mi(area 14.0620Hect), Khasra No 602/1Mi(area 0.6320Hect), Khasra No 607/2/1Mi(area 0.0250Hect), Khasra No 624/Mi(area 0.1770Hect), Khasra No 622Mi(area 0.2280 Hect). Total No 9Rakba having Total area 71.4880Hect which are as per revenue record reported to be a lake(Category06(1)).


The Khasra No 538Mi(area 0.4050Hect) was found to be forest. The Khasra No 602/1Mi(area 0.6320Hect), Khasra No 622Mi(area 0.2280 Hect) was found vacant. The Khasra No 569Mi(area 39.1150Hect) and Khasra No 572Mi(area 14.8840Hect) on which a Bengali Basti is situated partially, which is under forest area . The Khasra No 571/1/1Mi(area 1.960Hect), Khasra No 600Mi(area 14.0620Hect), Khasra No 607/2/1Mi(area 0.0250Hect), Khasra No 624/Mi(area 0.1770Hect) on which villagers are cultivating partially on the area which is categorized as category 06(1).

As per report the peoples residing in Bangali Basti for last 40 years, as they are cultivating the fields in village Nagla Gosai Pargana Kithore Tehsil Mawana District Meerut for there livelihood. These people does not have any permanent house and residing in the said area for last 40 years. the said area falls under the forest area, where any type of agriculture/housing purpose could not be allowed . For rehabilitation of Bengali Basti people the only option is to rehabilitee them to some other suitable place after selection of suitable place. The factual report is being submitted along with the report for kind perusal and further action in this regard.

With regards,

Enclosure : factual report.

Your's faithfully,


(Vijay)

Regional Officer,
U.P. Pollution Control Board, Meerut

कार्यालय उप जिलाधिकारी मवाना।

संख्या 1215 /एस0टी0-मवाना/2022

दिनांक 27 दिसम्बर,2022

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 नं0-595/2022 में पारित आदेश दिनांक 19.09.2022 के अनुपालन के संबंध में।

जिलाधिकारी
मेरठ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक महोदय के पत्र सं0-1015/जी/एओ-595/सरिता सिंह/2022 दिनांक 29.09.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अन्तर्गत महोदय द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मेरठ से समन्वय स्थापित करते हुए मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 नं0-595/2022 में पारित आदेश दिनांक 19.09.2022 के अनुपालन की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के संबंध में तहसीलदार मवाना को जॉच कराई गई। तहसीलदार मवाना द्वारा अपनी जॉच आख्या में उल्लिखित किया है कि ग्राम नंगला गौसाई परगना किठौर तहसील मवाना जिला मेरठ जो कि वन अभ्यारण क्षेत्र के अन्तर्गत अभिलेखों के अनुसार झील की भूमि /वन भूमि पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में मौके की जांच हेतु राजस्व विभाग व वन क्षेत्र अधिकारी की संयुक्त टीम गठित की गयी थी। जिनके द्वारा मौके का स्थलीय/अभिलेखीय निरीक्षण किया गया। जांच आख्या निम्न प्रकार है।

उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि राजस्व ग्राम नंगला गौसाई परगना किठौर तहसील मवाना जिला मेरठ के खसरा सं0 538, मि0 रकबा 0.4050 है0, 569 मि0 रकबा 39.1150 है0, 571/1/1 मि0 रकबा 1.9600 है0, 572 मि0 रकबा 14.8840 है0, 600 मि0 रकबा 14.0620 है0, 602/1 रकबा 0.6320 है0, 607/2/1 रकबा 0.0250 है0, 624/1 मि0 रकबा 0.1770 है0, 622 मि0 रकबा 0.2280 है0 कुल नं0 9 कुल रकबा 71.4880 है0 का मौके का स्थलीय/राजस्व अभिलेखों का अवलोकन किया गया। उक्त खसरा नम्बरान में राजस्व अभिलेखों में (श्रेणी 06(1) झील दर्ज है।

स्थलीय निरीक्षण में खसरा सं0 538 मि0 रकबा 0.4050 है0 पर मौके पर वन है, खसरा सं0 602/1 रकबा 0.6320 है0 व खसरा सं0 622 मि0 रकबा 0.2280 है0 मौके पर रिक्त है, खसरा सं0 569 मि0 रकबा 39.1150 है0 व खसरा सं0 572 मि0 रकबा 14.8840 है0 के आंशिक भाग पर बंगाली बस्ती बसी हुयी है, जो वन अभ्यारण क्षेत्र के अन्तर्गत आते है। खसरा सं0 571/1/1 मि0 रकबा 1.9600 है0, खसरा सं0 600 मि0 रकबा 14.0620 है0 खसरा सं0 607/2/1 रकबा 0.0250 है0, खसरा सं0 624/1 मि0 रकबा 0.1770 है0 उक्त 04 नम्बरानों की भूमि (श्रेणी 06(1)/सुरक्षित) भूमि पर ग्रामवासियों द्वारा आंशिक भाग पर कृषि कार्य किया जा रहा है। सभी कब्जाधारकों को 17 नवम्बर 2022 को मौखिक व मुनादी कराकर उक्त कृषि भूमि (झील) को खाली करने हेतु सूचित किया गया।


उप जिलाधिकारी
मवाना।

कमशा:02

दिनांक-02/12/2022 को राजस्व टीम, वन विभाग व पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से मौके पर पहुँचकर खसरा स० 538 मि० रकबा 0.4050 है० खसरा स० 602/1 रकबा 0.6320 है० व खसरा स० 622 मि० रकबा 0.2280 है० मौके पर रिक्त है, जिसको चिन्हित कर दिया गया है। खसरा स० 571/1/1 मि० रकबा 1.9600 है०, खसरा स० 600 मि० रकबा 14.0620 है०, खसरा सं 607/2/1 रकबा 0.0250 है०, खसरा स० 624/1 मि रकबा 0.1770 है० को आंशिक रूप से खाली कराया गया। खसरा संख्या 572 मि० रकबा 14.8840 है० व खसरा संख्या 569 मि० रकबा 39.1150 है० अभिलेखों में जो झील दर्ज है एवं वन अभ्यरण क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं, के आंशिक भाग पर बंगाली बस्ती बसी हुई है, इन्हीं में से कुछ व्यक्तियों द्वारा आंशिक भाग पर कृषि कार्य किया जा रहा है। उक्त भूमि को खाली कराए जाने की प्रक्रिया के दौरान बस्ती के लोगों द्वारा विरोध प्रकट किया गया। अतः कानून-व्यवस्था के दृष्टिगत तत्काल कार्यवाही रोक दी गयी।

यह भी अवगत कराना है कि बंगाली बस्ती में निवासरत व्यक्तियों द्वारा मौके पर बयान अंकित कराते हुए कहा कि सभी बंगाली परिवार लगभग 40 वर्षों से ग्राम नंगला गौसाई परगना किठौर तहसील मवाना में कृषि कार्य करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त इनके पास स्थायी निवास/आवास हेतु तहसील मवाना क्षेत्रान्तर्गत कोई अन्यत्र स्थान उपलब्ध नहीं है। चूंकि उक्त क्षेत्र वन अभ्यरण क्षेत्र के अन्तर्गत है जिस कारण इनको किसी प्रकार कृषि/आवासीय पट्टा आवंटित किया जाना सम्भव नहीं है। वन अभ्यरण क्षेत्र एवं सुरक्षित श्रेणी 06(1) की भूमि होने के कारण बंगाली बस्ती में निवासरत व्यक्तियों के पास कोई वैकल्पिक आवासीय/जीवनयापन साधन हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में पृथक से कार्यवाही की जा रही है। बंगाली बस्ती में निवासरत व्यक्तियों की सूची तैयार कर पृथक से विस्थापन हेतु उच्च स्तर को प्रेषित की गयी है। इनके विस्थापन हेतु वैकल्पिक भूमि उपलब्ध हो जाने के उपरान्त ही इन्हें विस्थापित किया जाना उचित होगा। अतः उपरोक्तानुसार तहसीलदार मवाना एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी परीक्षितगढ़ की संयुक्त आख्या मूलरूप में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।


संलग्न: उपरोक्तानुसार।


उप जिलाधिकारी
मवाना।

प्रतिलिपि:

- 1- सम्भागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मेरठ महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 2- क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मेरठ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।




उप जिलाधिकारी
मवाना।

उपजिलाधिकारी
मवाना।

संलग्न पत्र संख्या -1015/G/OA-595/Sarita singh/2022 दिनांक 29/09/2022 के सम्बंध में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ०ए०न०-595/2022 में पारित आदेश दिनांक-19/09/2022 के क्रम में उपजिलाधिकारी महोदय के पृष्ठाकन आदेश-2286/एस0टी0 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय पत्रांक-99/आर0सी0/2022 दिनांक-11/11/2022 के क्रम में ग्राम नंगला गौसाई परगना किठौर तहसील मवाना जिला मेरठ जो कि वन अभ्यरण क्षेत्र के अन्तर्गत अभिलेखों के अनुसार झील की भूमि /वन भूमि पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में मौके की जांच हेतु राजस्व विभाग व वन क्षेत्र अधिकारी की संयुक्त टीम गठित की गयी थी। जिनके द्वारा मौके का स्थलीय/अभिलेखीय निरीक्षण किया गया। जाच आख्या निम्न प्रकार है।

उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि राजस्व ग्राम नंगला गौसाई परगना किठौर तहसील मवाना जिला मेरठ के खसरा स० 538 मि० रकबा 0.4050 है०, 569मि० रकबा 39.1150 है०, 571/1/1मि० रकबा 1.9600 है०, 572मि० रकबा 14.8840 है०, 600मि० रकबा 14.0620 है०, 602/1 रकबा 0.6320 है०, 607/2/1 रकबा 0.0250 है०, 624/1मि० रकबा 0.1770 है०, 622मि० रकबा 0.2280 है० कुल न० 9 कुल रकबा 71.4880 है० का मौके का स्थलीय/राजस्व अभिलेखों का अवलोकन किया गया। उक्त खसरा नम्बरान में राजस्व अभिलेखों में (श्रेणी 06(1)) झील दर्ज है।

स्थलीय निरीक्षण में खसरा स० 538मि० रकबा 0.4050 है० पर मौके पर वन है, खसरा स० 602/1 रकबा 0.6320 है० व खसरा स० 622मि० रकबा 0.2280 है० मौके पर रिक्त है, खसरा स० 569 मि० रकबा 39.1150 है० व खसरा स० 572मि० रकबा 14.8840 है० के आंशिक भाग पर बंगाली बस्ती बसी हुयी है, जो वन अभ्यरण क्षेत्र के अन्तर्गत आते है। खसरा स० 571/1/1मि० रकबा 1.9600 है०, खसरा स० 600मि० रकबा 14.0620 है०, खसरा स० 607/2/1 रकबा 0.0250 है०, खसरा स० 624/1मि० रकबा 0.1770 है० उक्त 04 नम्बरानों की भूमि (श्रेणी 06(1)) /सुरक्षित भूमि पर ग्रामवासियों द्वारा आंशिक भाग पर कृषि कार्य किया जा रहा है। सभी कब्जाधारकों को 17 नवम्बर 2022 को मौखिक व मुनादी कराकर उक्त कृषि भूमि (झील) को खाली करने हेतु सूचित किया गया।

दिनांक-02/12/2022 को राजस्व टीम, वन विभाग व पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से मौके पर पहुँचकर खसरा स० 538 मि० रकबा 0.4050 है०, खसरा स० 602/1 रकबा 0.6320 है० व खसरा स० 622 मि० रकबा 0.2280 है० मौके पर रिक्त है, जिसको चिन्हित कर दिया गया है। खसरा स० 571/1/1 मि० रकबा 1.9600 है०, खसरा स० 600 मि० रकबा 14.0620 है०, खसरा स० 607/2/1 रकबा 0.0250 है०, खसरा स० 624/1 मि० रकबा 0.1770 है० को आंशिक रूप से खाली कराया गया। खसरा संख्या 572मि० रकबा 14.8840 है० व खसरा संख्या 569मि० रकबा 39.1150 है० अभिलेखों में जो झील दर्ज है एवं वन अभ्यरण क्षेत्र के अन्तर्गत आते है, के आंशिक भाग पर बंगाली बस्ती बसी हुई है, इन्ही में से कुछ व्यक्तियों द्वारा आंशिक भाग पर कृषि कार्य किया जा रहा है। उक्त भूमि को खाली कराए जाने की प्रक्रिया के दौरान बस्ती के लोगो द्वारा विरोध प्रकट किया गया। अतः कानून व्यवस्था के दृष्टिगत तत्काल कार्यवाही रोक दी गयी।

यह भी अवगत कराना है कि बंगाली बस्ती में निवासरत व्यक्तियों द्वारा मौके पर बयान अंकित कराते हुए कहा कि सभी बंगाली परिवार लगभग 40 वर्षों से ग्राम नंगला गौसाई परगना किठौर तहसील मवाना में कृषि कार्य करके अपना जीवन यापन कर रहे है। इसके अतिरिक्त इनके पास स्थायी निवास/आवास हेतु तहसील मवाना क्षेत्रान्तर्गत कोई अन्यत्र स्थान उपलब्ध नहीं है। चूँकि उक्त क्षेत्र वन अभ्यरण क्षेत्र के अन्तर्गत है जिस कारण इनको किसी प्रकार कृषि/आवासीय पट्टा आवंटित किया जाना सम्भव नहीं है। वन अभ्यरण क्षेत्र एवं सुरक्षित श्रेणी 06(1) की भूमि होने के कारण बंगाली बस्ती में निवासरत व्यक्तियों के पास कोई वैकल्पिक आवासीय/जीवनयापन साधन हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में पृथक से कार्यवाही की जा रही है। बंगाली बस्ती में निवासरत व्यक्तियों की सूची तैयार कर पृथक से विस्थापन हेतु उच्च स्तर को प्रेषित कर दी गयी। इनके विस्थापन हेतु वैकल्पिक भूमि उपलब्ध हो जाने के उपरान्त ही इन्हे विस्थापित किया जाना उचित होगा।

आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित।

विभागाध्यक्ष कुमार

लेखपाल

क्षेत्र

सौरभ अग्रवाल
(लेखपाल) क्षेत्र..

विभागाध्यक्ष

राजस्व निरीक्षक

क्षेत्रीय वन अधिकारी
परीक्षितगढ

अजय कुमार
लेखपाल
क्षेत्र

उपजिलाधिकारी

शिवानन्द

विभागाध्यक्ष

लेखपाल

क्षेत्र

41

नक्शा-नज़री

ग्राम- नंगला गौसाई

परगना- फिठौर



तहसील- मयाना

जिला- मेरठ

शील

लागत खसरा संख्या 538 मि, 569 मि, 571/1/1 मि, 572 मि, 600 मि
0.4050 हे, 39.1150 हे, 19600 हे, 14.8840 हे, 600 हे

602/1, 607/2/1, 624/1 मि, 622 मि (श्रेणी-6(1)-शील)
0.6320 हे, 0.0250 हे, 0.1770 हे, 0.2280 हे



बंगाली बस्ती



Shri...

१. *...*



उदरप खतीनी (शासकीय)

उदरप क्रमांक : 118905202212101

ग्राम क्रमांक : 118905 ग्राम का नाम / परगना : नंगला गौसाई(किर्ली) तहसील : मवाना जनपद : भैरठ फसली वर्ष : 1430-1435 (01 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2028) भाग : 1

खता खतीनी क्रम संख्या	खतदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौतिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खतदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आजा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आजा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
-----------------------	--	------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	---	---------

1 ----- 2 ----- 3 4 5 6 7-12 13

श्रेणी : 0-1 / अकृषिक भूमि - जलमगन भूमि ।

00463 झील / /

538मि.	0.4050						
569मि.	39.1150						
571/1/1मि	1.9600						
572मि	14.8840						
600मि.	14.0620						
602/1	0.6320						
607/2/1	0.0250						
624/1मि	0.1770						
622मि.	0.2280						
9	71.4880	₹ 0.00	0				0

कुल गाटे नौ कुल क्षेत्रफल- सात एक दशमलव चार आठ आठ शून्य (हेक्टयर) कुल भू-राजस्व - शून्य दशमलव शून्य रूपये

Data Digitally Signed by: MAN VEER SINGH



सक्षम अधिकारी: MANVEER SINGH

तहसील: मवाना जनपद: भैरठ

दिनांक एवं समय: 24-12-2022 04:38:54

उपरोक्त उदरप खतीनी का वैरीफिकेशन <http://upbhulekh.gov.in> Website पर जाकर किया जा सकता है। यह उदरप खतीनी इलेक्ट्रॉनिक डिजीबरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

← नाम →


- ① लक्ष्मण पुत्र बाबूराम आर्य लगभग 60 वर्ष
- ② राकेश पुत्र सुभाष आर्य लगभग 35 वर्ष
- ③ दलीप पुत्र साधुराम आर्य लगभग 29 वर्ष
- ④ राममण्डल पुत्र निर्मल मण्डल आर्य लगभग 43 वर्ष
- ⑤ सुभाष पुत्र जनममजय आर्य लगभग 70 वर्ष
- ⑥ प्रतापमण्डल पुत्र शशीराम मण्डल आर्य लगभग 40 वर्ष
- ⑦ सन्तोष पुत्र दिगम्बर आर्य लगभग 25 वर्ष
- ⑧ श्रीमति पद्मा पति रामकिशन झाड़ू लगभग 55 वर्ष
- ⑨ विश्वजीत पुत्र सुभाष आर्य लगभग 36 वर्ष
- ⑩ सरजीत पुत्र सुभाष आर्य लगभग 30 वर्ष
- ⑪ अशोक पुत्र निर्मल आर्य लगभग 36 वर्ष
- ⑫ सुभाष पुत्र हरिन्द आर्य लगभग 60 वर्ष
- ⑬ विप्लव पुत्र ~~सुभाष~~ ^{नारायण} आर्य 38 वर्ष
- ⑭ विश्वजीत पुत्र नारायण झाड़ू लगभग 50 वर्ष
- ⑮ प्रदीप पुत्र मनोहर झाड़ू लगभग 45 वर्ष
- ⑯ रतन पुत्र नन्दराम झाड़ू लगभग 50 वर्ष
- ⑰ किरान पुत्र उपेन आर्य लगभग 60 वर्ष
- ⑱ मधुसूदन पुत्र विश्वम्बर लगभग 52 वर्ष
- ⑲ हरिप्रद पुत्र उपेन आर्य लगभग 66 वर्ष
- ⑳ मंगल पुत्र मुकन्द आर्य लगभग 45 वर्ष
- ㉑ श्रीमति सुमित पति विरेन आर्य लगभग 46 वर्ष
- ㉒ कमलेश मण्डल पुत्र नारायण आर्य लगभग 40 वर्ष
- ㉓ राकेश पुत्र रविन्द आर्य लगभग 33 वर्ष
- ㉔ माइकल पुत्र धीरेन आर्य लगभग 67 वर्ष
- ㉕ रामचन्द्र पुत्र लक्ष्मण आर्य लगभग 57 वर्ष
- ㉖ कलराम पुत्र निरंजन आर्य लगभग 50 वर्ष
- ㉗ उपेन्द्र पुत्र अतुल आर्य लगभग 47 वर्ष
- ㉘ सपन पुत्र धरपेन आर्य लगभग 39 वर्ष
- ㉙ गीविता पुत्र तारापद आर्य ^{लगभग} 35 वर्ष
- ㉚ गीतिका पुत्र शशीराम आर्य लगभग 50 वर्ष (शशीराम) श्रीमति गीता पति शशीराम आर्य 40 वर्ष
- ㉛ मनोरंजन पुत्र आशुतोष आर्य लगभग 45 वर्ष
- ㉜ मंजीत पुत्र आशुतोष आर्य लगभग 30 वर्ष

- 30) श्रीरामि उमा पत्नी लालू झाड़ु लगभग 45 वर्ष
- 31) रमन पुत्र रामचन्द्र झाड़ु लगभग 60 वर्ष
- 32) पंकज पुत्र नासभण झाड़ु लगभग 40 वर्ष
- 33) श्रीरामि मन्दिता पत्नी श्रीरामचन्द्र झाड़ु लगभग 47 वर्ष
- 34) शंकर पुत्र श्रीराम झाड़ु लगभग 65 वर्ष
- 35) निरंजन पुत्र काँवाल झाड़ु लगभग 68 वर्ष
- 36) काशीनाथ पुत्र काँवाल झाड़ु लगभग 47 वर्ष
- 37) विद्यान पुत्र भरत झाड़ु लगभग 60 वर्ष
- 38) रिपन पुत्र भरत झाड़ु लगभग 51 वर्ष
- 39) मधु पुत्र पारिदाय झाड़ु लगभग 55 वर्ष
- 40) शुभरतन पुत्र नारायण झाड़ु लगभग 50 वर्ष
- 41) प्रकाश पुत्र नरेश झाड़ु लगभग 43 वर्ष
- 42) सुवीर पुत्र ~~काँवाल~~ नेपाल झाड़ु लगभग 31 वर्ष
- 43) जगदीश पुत्र नेपाल झाड़ु लगभग 33 वर्ष
- 44) तारक पुत्र देवील झाड़ु लगभग 54 वर्ष
- 45) आनन्दराम पुत्र जगदीश झाड़ु लगभग 55 वर्ष
- 46) दीपाकर पुत्र विजय झाड़ु लगभग 43 वर्ष
- 47) सुबाल पुत्र विजय झाड़ु लगभग 53 वर्ष
- 48) मोहनराय पुत्र रामदेव झाड़ु लगभग 54 वर्ष
- 49) पंकज सिन्हा पुत्र यामिनूनाथ बिस्वाहा झाड़ु लगभग 45 वर्ष
- 50) कार्तिक पुत्र नीलकमल झाड़ु लगभग 32 वर्ष
- 51) हरिपद पुत्र धारा झाड़ु लगभग 69 वर्ष
- 52) सुपद पुत्र चण्डीचरण झाड़ु लगभग 69 वर्ष
- 53) मधारी पुत्र श्रीरामचन्द्र झाड़ु लगभग 50 वर्ष
- 54) हरीषित पुत्र मीननाथ झाड़ु लगभग 36 वर्ष
- 55) रमेश पुत्र बाबुराम झाड़ु लगभग 39 वर्ष
- 56) नगिनीपाल पुत्र जलधर झाड़ु लगभग 67 वर्ष
- 57) किरान पुत्र बन्धाराम झाड़ु लगभग 60 वर्ष
- 58) रीतिन पुत्र जलधर झाड़ु लगभग 60 वर्ष
- 59) रघुनाथ पुत्र सुशील झाड़ु लगभग 35 वर्ष
- 60) निखिल राय पुत्र विनायक झाड़ु लगभग 63 वर्ष

- कारिणिक पुत्र सुंन 8 मसु लगसस 47 वर्ष
- 65) प्रीतेश पुत्र भोगिनसु मसु लगसस 35 वर्ष
 - 66) दलीप मंडल पुत्र शिपयद मंडल मसु लगसस 72 वर्ष
 - 67) कनार्द पुत्र पिनाई मसु लगसस 59 वर्ष
 - 68) रमयद पुत्र पारस मसु 78 वर्ष
 - 69) सुभाष पुत्र सुरेनु 8 मसु लगसस 65 वर्ष
 - 70) साधु पुत्र सतन मसु लगसस 60 वर्ष

हम उपरोक्त सूची बापमपुत्रक संपुस्त रूप से जमान करते हैं कि हम सभी उपरोक्त ग्राम नंगाला वॉलप के मजदुरा उपग्राम के खंगाली बाली में लगसस पर वर्ष से रह है तथा मही पर रहकर मजदुरी कर रहे तथा छुट्टि अवधि भी कर रहे है हम सभी के पास जन्म कारी रहने की जगह नहीं है जमान पहकर/सुनकर तस्वीक किया गया।

डोली मंडल (पत्नी कमल)	रुमेना	पंकज
कि. म. भागापन मंगल	राम मणुम	अलफुन = अनोरजन
	Neela Roy	कि. म. म
कि. म. शिपयद मंडल	विपय (पुसपिन)	आमिल
	मूडिकम	
कि. म. शंकर	विपलव	कि. म. म. सगल
	विशयजीत	कि. म. सुभाष सुवेड
कि. म. बलराम	बसुजीत	
म. म.	पिलीप	कि. म. सुनील फल सप
Narosit	अनी गोपाल	कि. म. शिपय
प्रशाल	Laxman	
शकाश	शकेर	कि. म. सगल
	R/S	
	R/S (पुसपिन)	



कि. अ. २१५५५५

KAUSCHUK
रिबो (पन्थ शयन)

कि. अ. २१५५५५

कि. अ. २१५५५५

रिबो (पन्थ शयन)

अमा

कि. अ. २१५५५५

कि. अ. २१५५५५

रिबो

कि. अ. २१५५५५

विश्व जीत (अनाराम)

कि. अ. २१५५५५

प्रशान्त

कि. अ. २१५५५५

(10)

रमेश

प्रदीप

अशोक

कि. अ. २१५५५५

कि. अ. २१५५५५

कि. अ. २१५५५५